

## स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम - देव शिक्षा समिति
2. संस्था का पता - ग्राम अमरपुर धाना पो0गौरई तह0इगलास जिला अलीगढ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था का उद्देश्य -

1. संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र- छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2. संस्था का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राइमरी, जू0हा0 स्कूल, हा0स्कूल, इंटर कालेज, आवश्यकता पडने पर नियमानुसार महाविद्यालय आदि की स्थापना करना व उनका निःशुल्क संचालन करना एवं सभी स्कूल, कालेजों आदि से सम्बन्ध कर टाईपिंग एवं कम्प्यूटर मोबाईल रिपेयर का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना व संचालन करना।

3. संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति तथा तकनीकी शिक्षा की निःशुल्क समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीडा स्थल, व्यायामशाला की निःशुल्क व्यवस्था करना।

4. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना।

5. संस्था का उद्देश्य समय - समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

6. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड आदि के वित्तीय सहयोग से लोगों कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वालम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्त शिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दर्जी, जालीन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रशिक्षण, तथा टंकण आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवं फ्लैशन डिजायनिंग, एवं ब्यूटीशियन, आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर / दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

7. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, आत्मशिक्षण, पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को निःशुल्क चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय, समय पर निःशुल्क जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

8. कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम जानकारीयों उपलब्ध करना व कराना व नवयुवक-युवतियों को कम्प्यूटर के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

9. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना।

10. समाज के अपेक्षित जैसे-अन्धे, कुष्ठ, रोगी व मुक बधिरों, विकलोंगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना तथा बाल आश्रम अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की निःशुल्क स्थापना करना।

11. "यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्डों/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्रों को न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे।" उपरोक्त सभी उद्देश्य अलाभकारी हैं।

सत्य प्रतिनिधि

चारुणिक सहायक

कार्य: उप दिग्दर्शन प्रभार सौसाध्यक एवं चित्रक

## नियमावली

1. संस्था का नाम - देव शिक्षा समिति
2. संस्था का पता - ग्राम अमरपुर धाना पो0गौरई तह0इगलास जिला अलीगढ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य - स्मृतिपत्र के अनुसार होगा ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

### 1. संरक्षक सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को 1000/- रुपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

### 2. आजीवन सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

### 3. साधारण सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/- रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

### 4. विशिष्ट सदस्य -

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा । परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

### 6. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

सत्य प्रतिलिपि

..2 पर

सचिव

संस्था का निवास: अमरपुर धाना पो0गौरई तह0इगलास जिला अलीगढ

06/11/18

7. संस्था के अंग :-

8. साधारण सभा -

1. साधारण सभा

2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

गठन - साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठक - साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।

सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।

2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

Surender

नेक राग श

Signature

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/ सचिव, एक उपप्रबन्धक/ उपसचिव एक कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे । सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई - बढ़ाई जा सकती है । जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी ।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।

2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

3. पर

सत्य प्रतिलिपि

कनिष्ठ महायक

कापक ३० दिनांक १५ मार्च २०२३ एवं चिट्ठा

अध्यापक क्षेत्र, आगरा

Signature

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, एव बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

ल. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

1. अध्यक्ष -

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
- 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
- 3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम सभामें प्रस्तुत करना।

उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक/सचिव -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की संचालन करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार-प्रसार करना।
3. संस्था की अचल-चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों, ड्राफ्टों बंधक बिलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों/कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।
6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव:-

संस्था के प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना एवं उपस्थित में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सत्य प्रतिज्ञापि

...4...पर

वरिष्ठ प्रबन्धक  
कार्यालय उप निर्माण कार्य एवं विद्युत  
संचालन, आगरा

06918

...4

कोषाध्यक्ष-

- 1- संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना ।
- 2- प्रबन्धक/सचिव द्वारा सोपे गये कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया -  
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था -

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व - संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख -

- 1- सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर 3- एजेंडा रजिस्टर 4- स्टॉक रजिस्टर
- 5- कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन -

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक-

सत्यप्रतिलिपि

Meehu  
Sharma

मेहु शर्मा

Yogesh

Suresh

Kalpana

[Signature]

सत्य प्रतिलिपि

श्रीधर सहस्रवर्क  
कार्यकेंद्र एवं निवेशक सम्बन्धित एवं विद्वान्  
राजस्थान, 30-208

56718

संस्था का नाम :- देव शिक्षा समिति,

ग्राम अमरपुर धाना पोस्ट गौरई तह0 इगलास जिला अलीगढ़।

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की सूची वर्ष:-2022-2023

क्र.सं नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री भरत कुमार चतुर्वेदी	श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट राल तहसील छाता जिला मथुरा ।	अध्यक्ष	स0 सेवा
2-श्री मनोज कुमार	श्री सुरेश चन्द शर्मा	ग्राम व पोस्ट जेवर तहसील जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर ।	उपाध्यक्ष	स0 सेवा
3-श्री ओम प्रकाश शर्मा	श्री घनश्याम शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट मथुरा ।	प्रबन्धक/ सचिव	स0 सेवा
4- गुंजन शर्मा	श्री रामवीर शर्मा	ग्राम नगला मीना पोस्ट राया तह0 मॉट जिला मथुरा ।	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	स0 सेवा
5-श्रीमती हेमलता	श्री योगेश कुमार शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट कोषाध्यक्ष जिला मथुरा ।		गृहणी
6-श्रीमती चन्द्रकान्ता	श्री नीरज कुमार शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट सदस्य जिला मथुरा ।		गृहणी
7-श्रीमती मनोरमा	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ग्राम व पोस्ट बरौठ तहसील मॉट सदस्य जिला मथुरा ।		गृहणी

कुल 7 सदस्य

प्रधान सचिव  
कार्यालय निदेशक फार्म सांसादित एवं चिट्ठा  
आगरा क्षेत्र, आगरा

14-7-22

OP Sharma

M Kumar

हेमलता

Guhjan

भरत कुमार